

परिशिष्ट-1

खान मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली शास्त्री भवन के पत्रांक-16/7/2015-एम0 VI (भाग) दिनांक 16.09.2015 द्वारा प्रकाशित प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की मार्गदर्शिका

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जिला खनिज फाउंडेशन को प्रोद्भूत निधि का उपयोग कर संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जो राज्य तथा केन्द्र सरकार के विद्यमान चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक होंगे;
 - (ख) खनन के दौरान तथा उसके पश्चात् खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव को कम करना; और
 - (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।
1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत आनेवाले प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान

(1) प्रभावित क्षेत्र

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र- जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खनन संबंधित कार्य जैसे- उत्खनन, खनन, विष्फोटन, परिष्करण और अपशिष्ट निपटान (क्षमता से अधिक डंप, टेलिंग पौड, परिवहन गलियारा आदि) अवस्थित हों।

क. ऐसे गाँव और ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत खान अवस्थित और चालू हों। ऐसे खनन क्षेत्र का विस्तार पड़ोसी गाँव, प्रखंड अथवा जिला अथवा राज्य तक भी हो सकेगा।

ख. खान और खानों के समूह के ऐसे घेरे जो राज्य सरकार द्वारा, इस बात का विचार किए बिना कि यह सम्बद्ध जिला अथवा निकटवर्ती जिला के अंतर्गत आता है, विनिर्दिष्ट किया जाय के अधीन कोई क्षेत्र।

ग. ऐसे गाँव जहाँ खान द्वारा विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारों द्वारा पुनर्वासित किया गया हो।

घ. वैसे गाँव जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन क्षेत्र पर विशेष रूप से निर्भर हों तथा परियोजनाओं क्षेत्रों पर भोगाधिकार और परम्परागत अधिकार रखते हों जैसे चराई, जंगल के लघु उत्पाद का संग्रह आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र समझना चाहिए।

(ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र- वे क्षेत्र जहाँ स्थानीय आबादी खनन संबंधी कार्यों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिकूलतः प्रभावित हों। खनन का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव खनन कार्य, खनिजों के परिवहन, विद्यमान आधारभूत संरचना एवं

n k

संसाधनों पर बढ़ते बोझ के कारण जल, मिट्टी तथा वायु की गुणवत्ता में कमी, जलधारा के बहाव में कमी, भूगर्भ जल में कमी, संकुलन और प्रदूषण के रूप में हो सकता है।

(ग) जिला खनिज फाउंडेशन खनिज संबंधी कार्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और संधारित करेगा।

(2) प्रभावित लोग—

क. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) भू-अर्जन, पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित

(ख) भू-अर्जन, पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार की धारा 3 (ट) के अधीन यथा परिभाषित

(ग) सम्बद्ध ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से पहचाना हुआ कोई अन्य

ख. खनन से प्रभावित व्यक्तियों के अंतर्गत वे व्यक्ति आयेंगे जिनका खोदी गयी भूमि पर कानूनी तथा उपजीविकाजन्य अधिकार हो तथा जिनका भागाधिकार तथा परम्परागत अधिकार भी हो।

ग. प्रभावित परिवार की पहचान यथासंभव ग्राम सभा के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जाएगा।

घ. जिला खनिज फाउंडेशन ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसे संधारित करेगा।

2. निधि की उपयोगिता

(1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की व्याप्ति

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निम्नलिखित सूचीबद्ध क्रियाकलापों को आच्छादित करेगा :

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र—प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की कम-से-कम 60% निधि इन शीर्षों के अधीन उपयोग में लायी जायेंगी :

क. पेयजल आपूर्ति — केन्द्रीयकृत शुद्धिकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क जिसमें पेयजल के लिए एक अकेली सुविधा शामिल है, पाइप द्वारा जलापूर्ति के लिए पाइप बिछाना।

ख. पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, बहिःस्राव उपचार संयंत्र, क्षेत्र में जल धाराओं, झीलों, तालाबों, भूगर्भ जल, अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकना, खनन कार्यों तथा क्षेपण भूमि (डंप) के कारण वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकास प्रणाली तथा खान प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के अनुकूल दीर्घकालीन खान विकास के लिए चालू अथवा, परित्यक्त खान तथा अन्य वायु, जल एवं भूगर्भ प्रदूषण नियंत्रण तंत्र हेतु उपाय।

R. A. V.

- ग. स्वास्थ्य देखभाल— प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/सहायक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल की आधारभूत संरचना स्थापित करने पर ही केवल जोर नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कर्मिगण एवं उपकरण की अपेक्षित आपूर्ति पर भी जोर होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय निकाय, राज्य और केन्द्र सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल आधारभूत संरचना को मिलकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारी और रोग की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष आधारभूत संरचना डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध सुविज्ञता पर भी ध्यान दिया जा सकता है। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है।
- घ. शिक्षा— विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला एवं शिल्प कक्ष, प्रसाधन ब्लॉक का निर्माण, पेयजल का प्रावधान, दूरदराज क्षेत्रों में विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास, खेल की आधारभूत संरचना, शिक्षक/अन्य सहयोगी स्टाफ की भागीदारी, ई-शिक्षण का स्थापन, परिवहन सुविधाओं (बस/भान/साइकिल/रिक्शा/आदि) की अन्य व्यवस्था तथा पोषण संबंधी कार्यक्रम।
- ङ. महिलाओं और बच्चों का कल्याण— प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन माँ और बच्चों के स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक बीमारी आदि समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा सकता है।
- च. वृद्ध और अशक्त लोगों का कल्याण— वृद्ध और अशक्त लोगों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।
- छ. कौशल विकास— स्थानीय योग्य व्यक्तियों के लिए आजीविका मदद, आय उत्पत्ति और आर्थिक क्रियाकलापों हेतु कौशल विकास। इन परियोजनाओं/स्कीमों में प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्र का उन्नयन, स्वनियोजन स्कीम, स्वयं सहायता समूह की मदद तथा ऐसे स्वनियोजन आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अग्र और पश्च संबंध का प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
- ज. स्वच्छता— अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास एवं मल उपचार संयंत्र का प्रावधान, मल मूत्र पंक के निपटान का प्रावधान, प्रसाधन और अन्य संबंधित क्रियाकलाप का प्रावधान।
- प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र— इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का 40% तक का उपयोग किया जाएगा।
- क. भौतिक आधारभूत संरचना— अपेक्षित भौतिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना— सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग परियोजनाएँ।

n u k

KFA

- ख. सिंचाई— सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, समुचित और उन्नत सिंचाई तकनीक का अंगीकरण।
- ग. ऊर्जा और जलछाजन विकास— ऊर्जा (माइक्रो हाइडल सहित) के वैकल्पिक स्रोत और वर्षा जल हार्वेस्टिंग प्रणाली। फलोद्यान, समेकित कृषि और आर्थिक वानिकी और आवाह क्षेत्र का पुनर्स्थापन।
- घ. खनन जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(2) सामान्य मार्गदर्शिका

- क. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन विकास और कल्याण गतिविधियों को यथासंभव राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा निधिबद्ध चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक के रूप में लेना चाहिए। 'प्रदूषक द्वारा अदायगी के सिद्धांत' के अधीन आशयित गतिविधियों को प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन नहीं लेना चाहिए। तथापि फाउंडेशन की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य और जिला योजनाओं को मिलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियाँ, विकास तथा कल्याण गतिविधियों की पूरक हो तथा राज्य योजना के लिए इसे अतिरिक्त बजटीय संसाधन मानी जाय।
- ख. राज्य सरकार द्वारा नियत ऊपरी सीमा के अध्यक्षीन फाउंडेशन की वार्षिक प्राप्ति की 5% से अनधिक राशि फाउंडेशन की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी तथा ऊपरी लागत के उपयोग में लायी जाएगी। यथासंभव प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन कोई अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं की जानी चाहिए। स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन तथा फाउंडेशन द्वारा वाहन के क्रय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ संविदात्मक आधार पर रखे जा सकते हैं।
- ग. यदि किसी जिला का खनन से प्रभावित क्षेत्र अन्य किसी जिला की अधिकारिता में आता है तो फाउंडेशन द्वारा खान से संगृहीत राशि का ऐसा प्रतिशत, जो सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय, अन्य सम्बद्ध जिला के फाउंडेशन में ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियों को संचालित करने के लिए अंतरित कर दिया जाएगा। ऐसी परियोजना जो प्रभावित क्षेत्र/लोगों के लाभ के लिए है किन्तु जिला की भौगोलिक सीमा से बाहर फैला है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन प्रारंभ की जानी चाहिए। सड़क, पुल आदि के निर्माण जैसी सामान्य आधारभूत संरचना के विकास की परियोजनाएँ जो निधि के उपयोग के लिए प्राथमिकता के विषय में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं अलग-अलग मामला के आधार पर जिला के महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी लिया जा सकेगा। निधि के उपयोग की सीमा से अधिक कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

M L

घ. वार्षिक प्राप्तियों की समुचित राशि को दीर्घकालीन आजीविका उपलब्ध कराने के लिए स्थायी निधि के रूप में रखना चाहिए।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

अनुसूचित क्षेत्रों में प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि की अपयोगिता के लिए अफनाई जाने वाली प्रक्रिया संविधान की धारा 244 सहपठित अनुसूची V और अनुसूची VI जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा पंचायत के उपबंधों (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) अधिनियम, 1996 तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकार की पहचान) अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

अनुसूचित क्षेत्रों के अन्दर अवस्थित खनन द्वारा प्रभावित गाँवों की बाबत :

(i) ग्राम सभा का अनुमोदन निम्नलिखित के लिए अपेक्षित होगा

(क) प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए।

(ख) सरकार के मौजूदा मार्गदर्शन के अधीन लाभार्थियों की पहचान।

(ii) हरेक वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर अपने-अपने गाँव में प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन किए जाने वाले कार्यों का प्रतिवेदन ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाएगा। (ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जो पंचायत के उपबंधों के कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (अधिनियम 40, 1996) के प्रयोजनों के लिए इन्हें समनुदेशित है।)

4. कार्य/संविदा का कार्यान्वयन

i संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपापन के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा कार्य/माल उपाप्त किए जा सकते हैं।

ii सभी अभिकरणों तथा लाभार्थियों को निधि का अंतरण उनके बैंक खातों में होगा।

5. पारदर्शिता का अनुपालन

(1) हरेक फाउंडेशन अन्य बातों के साथ एक बेबसाइट तैयार करेगा और उसे संधारित करेगा जिसपर निम्नलिखित सूचनाएँ डाली जायेंगी और अद्यतन रखी जायेंगी:-

i. जिला खनिज फाउंडेशन/जिला खनिज फाउंडेशन के निकाय (यदि कोई हो) की संरचना का ब्यौरा।

ii. खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची।

iii. पट्टाधारियों और अन्य से प्राप्त सभी अंशदान का तिमाही ब्यौरा।

iv. जिला खनिज फाउंडेशन की सभी बैठकों की कार्यसूची, मसौदा और कार्रवाई प्रतिवेदन।

v. वार्षिक योजना और बजट कार्यादेश, वार्षिक प्रतिवेदन।

vi. चालू कार्यों की ऑनलाइन प्रास्थिति- प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन चलाई जा रही सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रास्थिति/प्रगति बेबसाइट पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिनमें कार्य के प्रकार, लाभार्थियों के ब्यौरे, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन अभिकरण का नाम, कार्य प्रारंभ होने और कार्य समाप्त होने की संभावित तिथि, अंतिम तिमाही तक वित्तीय और भौतिक प्रगति आदि शामिल हैं।

N + W

vii. विभिन्न कल्याण कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों की सूची।

viii. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

6. लेखापरीक्षा

जिला खनिज फाउंडेशन के लेखे की लेखापरीक्षा जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा नियुक्त चार्टरित लेखाकार द्वारा अथवा ऐसी अन्य रीति से जो सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रतिवर्ष की जाएगी तथा उसका प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सार्वजनिक किया जाएगा।

7. वार्षिक प्रतिवेदन

क. जिला खनिज फाउंडेशन प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर विहित वित्तीय वर्ष की अपनी गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराएगा तथा जिला खनिज फाउंडेशन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

ख. जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदित किए जाने की तिथि से एक माह के अन्दर इसे सरकार को समर्पित किया जाएगा और फाउंडेशन के वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

ग. हरेक फाउंडेशन का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

No. 167/2015-M.VI (Part)
Government of India
Ministry of Mines

New Delhi, Shastri Bhawan
Dated the 16th September, 2015

ORDER

WHEREAS in terms of the provisions of sub-section (1) of section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act, 1957 (67 of 1957), the State Governments shall, by notification, establish a District Mineral Foundation in every district in the country affected by mining related operations.

AND WHEREAS mining related operations largely affect less developed and very remote areas of the country, and vulnerable sections of the population, especially Scheduled Tribes, therefore, it is especially necessary that special care and attention is devoted, in an organized and structured manner so as to ensure that these areas and affected persons are benefitted by the mineral wealth in their regions and are empowered to improve their standard of living.

AND WHEREAS in terms of sub-section (3) of section 9B, the rules for the functioning of the District Mineral Foundations are to be prescribed by the State Governments.

AND WHEREAS the Central Government, on a careful consideration of the matter, is of the opinion that the national interest requires that all District Mineral Foundations should implement a development programme for the mining affected areas that includes a certain minimum provision for the social and infrastructure needs of the population and area, and the Central Government has, accordingly, framed the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana to be implemented by the District Mineral Foundations from the funds accruing to them in terms of the MMDR Act, 1957.

NOW THEREFORE the Central Government in exercise of the powers conferred under section 20A of the MMDR Act, 1957, in the national interest hereby directs the concerned State Governments to incorporate the 'Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana' (the details of which are annexed herewith) into the rules framed by them for the District Mineral Foundations and to implement the said Scheme.


(R. Sridharan)

Additional Secretary to the Government of India

Enclosure: Details of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (6 pages)

1. Chief Secretaries of all States
2. Administrators of Union Territories

Copy for information to:
PS to Minister for Steel and Mines; PS to Minister of State for Steel and Mines; PPS to Secretary (Mines)

ANNEXURE

Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY)

The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) will be implemented by the District Mineral Foundations (DMFs) of the respective districts using the funds accruing to the DMF. The overall objective of PMKKKY scheme will be (a) to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas, and these projects/programs will be complementing the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government; (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

1. Identification of affected areas and people to be covered under the PMKKKY

1) Affected areas

- a. **Directly affected areas** – where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.), etc. are located.
 - a) Villages and gram panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district on even state.
 - b) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government, irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district.
 - c) Villages in which families displaced by mines have resettled/rehabilitated by the project authorities.
 - d) Villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc. should be considered as directly affected areas.
- b. **Indirectly affected areas** – Those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.
- c. The DMF shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas by mining related operations.

2) Affected people

- a. The following should include as directly affected persons:
 - a) 'Affected family' as defined under Section 3 (c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
 - b) 'Displaced family' as defined under Section 3 (k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
 - c) Any other as appropriately identified by the concerned gram sabha.
- b. Persons affected by mining should include people who have legal and occupational rights over the land being mined, and also those with usufruct and traditional rights
- c. Affected families should be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of gram sabha.
- d. The DMF shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/local communities.

2. Utilisation of Funds

1) Scope of PMKKKY

The PMKKKY may cover the activities listed below:

High priority areas – at least 60% of PMKKKY funds to be utilized under these heads:

- a. **Drinking water supply** –centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.
- b. **Environment preservation and pollution control measures**- effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working or abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.
- c. **Health care** –the focus must be on creation of primary / secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective.

To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, state and Central government. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.

- d. **Education** – construction of school buildings, Additional class rooms, Laboratories, Libraries, Art and crafts room, Toilet blocks, Drinking water provisions Residential Hostels for students/teachers in remote areas,, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/cycles/rickshaws/etc.) and nutrition related programs.
- e. **Welfare of Women and Children-** Special programmes for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc. can be taken up under the PMKKKY.
- f. **Welfare of aged and disabled people** – Special program for welfare of aged and disabled people.
- g. **Skill development**–skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects / schemes may include training, development of skill development center, self-employment schemes, support to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities.
- h. **Sanitation**– collection, transportation & disposal of waste, clearing of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.

Other priority Areas – Up to 40% of the PMKKKY to be utilized under these heads

- a. **Physical infrastructure** - providing required physical infrastructure - road, bridges, railways and waterways projects.
- b. **Irrigation** - developing alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques.
- c. **Energy and Watershed Development** - Development of alternate source of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments.
- d. **Any other measures for enhancing environmental quality in mining district.**

2) General guidelines

- a. The developmental and welfare activities to be taken up under the PMKKKY should be, as far as possible, in the nature of complementing the ongoing schemes/projects being funded by the State as well Central Government. Activities meant to be taken up under the 'polluter pays principle' should not be taken up under the PMKKKY. However, without prejudice to the powers of the Foundation, efforts shall be made to achieve convergence with the State and the District Plans so that the activities taken up by the Foundation supplement the development and welfare activities and are treated as extra-budgetary resources for the State Plan.
- b. An amount not exceeding 5% of the annual receipts of the Foundation subject to an upper limit fixed by state government may be utilised for administrative, supervisory and overhead costs of the Foundation. As far as possible, no temporary/permanent posts should be created under PMKKKY. Any creation of temporary/permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.
- c. If the affected area of a mine in one district also falls in the jurisdiction of another district, such percentage of amount collected from the mine by the Foundation, as may be decided by the Government, shall be transferred to the Foundation of the other district concerned for taking up the activities in such areas. A project that is for benefit of the affected area/ people, but stretches beyond the geographical boundary of the district should be taken up under the PMKKKY after obtaining prior approval of the State Government. Projects for development of common infrastructure like construction of roads, bridges etc. in excess of the limits specified in regard to the priority for fund utilization, on a case to case basis, may also be taken up for projects of importance to the District. The prior approval of the State Government need to be taken, with intimation to the Central Government, before taking up such works in excess of the limits of fund utilization.
- d. A reasonable sum of the annual receipts should be kept as endowment fund for providing sustainable livelihood.

3. Special provisions for scheduled areas

The process to be adopted for utilization of PMKKKY funds in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

In respect of villages affected by mining situated within the scheduled areas:

- (i) Approval of the Gram Sabha shall be required
 - a) for all plans, programs and projects to be taken up under PMKKKY.
 - b) identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.
- (ii) Report on the works undertaken under PMKKKY in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

[Gram Sabha will have same meaning as assigned to it for the purpose of implementation of the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (Act 40 of 1996)]

4. Implementation of Works / Contracts

- (i) Works /goods may be procured by the DMF after following the due procedure prescribed by the respective state governments for such procurements.
- (ii) Transfer of fund to all agencies and beneficiaries shall be into their bank account.

5. Compliance of Transparency

- (1) Each Foundation will prepare and maintain a website on which, inter-alia, following information will be hosted and kept updated:-
 - (i) Details of composition of the DMF/bodies of DMF (if any).
 - (ii) List of areas and people affected by mining.
 - (iii) Quarterly details of all contributions received from lessees and others.
 - (iv) All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the DMF.
 - (v) Annual Plans and budget, work orders, Annual Report.
 - (vi) Online status of ongoing works – implementation status/progress of all the projects/programs being undertaken under PMKKKY should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress upto last quarter etc.
 - (vii) List of beneficiaries under various welfare programs.
 - (viii) Voluntary disclosures under RTI Act.

6. Audit

The accounts of the DMF shall be audited every year by the Chartered Accountant appointed by the DMF, or in such other manner as the Government may specify, and the report thereof shall be placed in the public domain alongwith the Annual Report.

7. Annual Report

- a. Every year, within three months from the date of closure of the financial year, the DMF shall cause to prepare an Annual Report on its activities for the respective financial year and place it before the DMF.
- b. The Annual Report will be submitted to the Government within one month from the date of its approval by the DMF and will also be hosted on the website of the Foundation.
- c. The Annual Report of each Foundation shall be laid before the State Legislative Assembly.
